# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः–47 / 2025

तारीख दायर–25.09.2025

तारीख–निर्णय–08.05.2026

1. श्री सोहनलाल मेघवाल पिता स्व0 उदयलाल मेघवाल निवासी चमनपुरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
2. श्री ललित मेघवाल पिता स्व0उदयलाल मेघवाल निवासी चमनपुरा तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलुम्बर

........प्रार्थीगण

**बनाम**

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

...........अप्रार्थी

उपस्थित–प्रार्थी की ओर से– अधिवक्ता श्री जॉनी जैन

अप्रार्थी की ओर से–श्री राजपेरोकार

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वत्व, आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा लसाडिया, पटवार हल्का लसाडिया भू.अ.निरीक्षक वृत्त लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) के खाता संख्या नया 746 व पुराना 678 में वर्णित आराजी संख्या 3440, 3448, 3522 / 45, कुल किता 03 कुल रकबा 0.5140 हैक्टेयर भूमि में वर्तमान में खातेदार क्रमांक 1 नाम मोहन व खातेदार क्रमांक 2 रामेश्वर के नाम दर्ज भूमि है। प्रार्थीगण क्रमांक 01 का सही व वास्तविक नाम सोहनलाल मेघवाल पिता स्व0 उदयलाल मेघवाल है जो राजकीय दस्तावेज में भी दर्ज है एवं जब हम प्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तरण की कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो स्वीकृत किया जाकर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2430 दिनांक 29.05.1994 के विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खोला गया जिसमें मुझ प्रार्थीगण सं. 01 सोहन के नाम से ही नामान्तरणकरण किया गया था, परन्तु सम्वत् 2050 से 2053 के राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण दर्ज करते समय से मुझ प्रार्थी का सही नाम सोहन के स्थान पर मोहन दर्ज हो गया जबकी वास्तविक नाम सोहन मेघवाल पिता उदयलाल दर्ज होना चाहिये था जो सहवन टंकण त्रुटी, राजस्व अधिकारी से भुलवश इन्द्राज हो गया जिसका इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना आवश्यक होकर न्यायसंगत है। इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 02 झामेश्वर के नाम से नामान्तरकरण किया गया था, परन्तु सम्वत् 2058 से 2061 में नाम दर्ज करते समय लिपिकिय त्रुटी से प्रार्थी का नाम झामेश्वर के स्थान पर रामेश्वर दर्ज हो गया जबकी वास्तविक नाम ललित मेघवाल पिता स्व0उदयलाल मेघवाल होना चाहिये था एवं मुझ प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम ललित मेघवाल है जो की राजकीय दजस्तावेज मे भी दर्ज है। उदा जी मेघवाल के झामेश्वर व रामेश्वर नाम के कोई पुत्र नही है। जो दोराने मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर नामान्तरणकरण की कार्यवाही के दौरान गांव में मुहबोला नाम झामेश्वर के नाम से नामान्तरण्करण किया गया था जो लिपिकिय चुक रही हैं। जिसे संशोधित किया जाकर मुझ प्रार्थी का सही नाम ललित

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज

मेघवाल पिता स्व0 उदयलाल मेघवाल दर्ज किया जाना आवश्यक होकर न्यायसंगत है। अन्यथा प्रार्थी को वेवजह जलील एवं परेशान व अनावश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु विवश होना पडेगा, प्रार्थीगण के पक्ष में राजकीय दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, व एक अन्य खाते की नकल भी संलग्न प्रस्तुत है। प्रार्थी को उक्त तथ्य की जानकारी दिनांक 20.08.2025 को चालु जमाबन्दी की प्रतिलिपि प्राप्त कर अवलोकन करने पर जाहीर आयी जिससे बिनाय प्रार्थना पत्र विपक्षी दिनांक 20.08.2025 को उत्पन्न हुआ। जिससे विपक्षी को उक्त संशोधन का इन्द्राज दुरस्ती के लिए निवेदन किया तो उनके द्वारा कानुनी कार्यवाही कर आदेश प्राप्त करने का कथन किया जो की आज दिनांक तक निरन्तर जारी है। उक्त वाद ग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम लसाडिया, पटवार हल्का लसाडिया भू.अ.निरीक्षक लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर में स्थित होने से उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का का अधिकार आप न्यायालय के क्षैत्राधिकार मे होने से उक्त प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु आप न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा रहा है। निवेदन है की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण कार्यवाही के दौरान हुई सहवन टंकण त्रुटी को सही कर इन्द्राज दुरस्ती की जाकर राजस्व ग्राम लसाडिया, पटवार हल्का लसाडिया बी भू.अ.निरीक्षक वृत्त लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.) के खाता संख्या नया 746 व पुराना 678 में वर्णित आराजी संख्या 3440, 3448, 3522/45, कुल किता 03 कुल रकबा 0.5140 हैक्टेयर भूमि में प्रत्येक का 1/7 वां –1/7 वां हक व हिस्से की भूमि वर्तमान में खातेदार क्रमांक 01 मोहन व खातेदार क्रमांक 02 रामेश्वर के नाम अंकित उसे प्रार्थीगण का सही व वास्तविक नाम सोहनलाल मेघवाल पिता स्व0उदयलाल मेधवाल एवं ललीत मेघवाल पिता स्व0उदयलाल मेघवाल का इन्द्रात दुरूस्ती कर खातेदारी दर्ज कराये जाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (तहसीलदार) को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम लसाडिया की खाता संख्या 746 किता 03 कुल रकबा 0.5184 हैक्टेयर भूमि सहखातेदार श्री मोहन पिता उदा हिस्सा–1/7, रामेश्वर पुत्र उदा हिस्सा–1/7 जाति चमार सा.देह व अन्य के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण के पिता उदा पिता मन्ना की मृत्यु पश्चात् राजस्व ग्राम लसाडिया के नामान्तरणकरण संख्या 2430 दिनांक 17.08.1994 से उदा पिता मन्ना के स्थान श्री शंकर, नारायण, सोहन,झामेश्वर, पिता उदा, भुरी बेवा उदा के नाम राजस्व रेकॉर्ड दर्ज हुआ। राजस्व ग्राम लसाडिया की जमाबन्दी सम्वत् 2050 –53 की खाता संख्या 56 पर श्री उदा पिता मन्ना के विरासत नामान्तरणकरण दाखिले में सोहन के स्थानप र भुलवश मोहन दर्ज हो गया, जिस वजह से आदिनांक तक राजस्व रेकॉर्ड में मोहन पिता उदा ही दर्ज है।जबकी प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों में नाम सोहन दर्ज है। उक्त विरासत नामान्तरकरण दाखिले में प्रार्थी श्री ललीत का बजपन में मुंहबोला नाम झामेश्वर था जिस वजह से प्रार्थी ललीत का नाम झामेश्वर रिकॉर्ड दर्ज हुआ वक्त सेग्रीसेशन जमाबन्दी सम्वत् 2058–61 में झामेश्वर के स्थानप र रामेश्वर दर्ज हो गया जबकी प्रार्थी के समस्त दस्तोवजों में नाम ललित दर्ज

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है।

**:–आदेशः–**

तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट व प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदार का नाम खाता संख्या नया 746 मे प्रार्थीगण क्रमांक 01 मोहन व क्रमांक 02 रामेश्वर के स्थान पर प्रार्थीगण का सही व वास्तविक

नाम सोहनलाल मेघवाल पिता स्व0उदयलाल मेधवाल एवं ललीत मेघवाल पिता स्व0उदयलाल मेघवाल किया जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदेशानुसार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2026.को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया जिला-सलुम्बर